



# छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)

जीवन बीमा निगम व्यवसायिक परिसर, (भू-तल एवं द्वितीय तल) पण्डरी, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492004

दूरभाष क्रमांक-2583789-90, फ़ैक्स: 0771-2583794

तक - 3 व्यावसायिक परिसर रायपुरा चौक, डंगनिया, रायपुर

Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in,csidc\_raipur@yahoo.com

## अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना ( द्वितीय आमंत्रण )

निविदा क्रमांक - 02/तक-3/2011-12/

रायपुर दिनांक 05/05/2011

मुहरबंद निविदाये फार्म 'ए' (प्रतिशत दर) पर इस निगम में पंजीकृत 'अ' 3 एवं उससे ऊपर ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा दिनांक 18.09.2002 से जल प्रदाय कार्य हेतु जारी एवं अद्यतन संशोधित एस.ओ.आर. पर निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 20/05/2011 अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय कार्यपालन अभियंता तक.-3 सीएसआईडीसी, पंडरी कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी
1.	औद्योगिक क्षेत्र बोर्ड जिला दुर्ग में 100, 150, 200, 300 मिमि ब्यास के डी.आई. पाईप प्रदाय कर बिछाने का कार्य।	रु. 53.49 लाख	रु. 40,500/-	रु. 3000/-	06 माह	अ-3 एवं उससे ऊपर

शर्तें :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में कार्यपालन अभियंता तक.-3 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद भुगतान कर दिनांक 19/05/2011 को अपरान्ह 2.00 बजे तक व्यावसायिक परिसर रायपुरा चौक, डंगनिया, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (2) निविदा आवेदन के साथ वाणिज्यिक कर पंजीयन की प्रति, आयकर पेन कार्ड की प्रति, विगत 3 वर्षों के कार्य की टर्न ओव्हर की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) निविदा आवेदन के साथ समान प्रकृति के कार्य का 50 प्रतिशत एक ही अनुबंध में विगत 3 वर्षों में सफलता पूर्वक पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) उल्लेखित कार्य हेतु कार्य पूर्ण करने की अवधि से 01 वर्ष(12 माह) तक संपादित कार्य का संधारण तथा मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाना है। जिसके लिए कार्य की संपूर्ण लागत की 5 प्रतिशत राशि Performance Guarantee के रूप में रोकी जावेगी, तथा वह राशि 01 वर्ष तक सफलतापूर्वक आवश्यक संधारण तथा मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी।
- (5) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का समयावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (6) कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रायल्टी चुकता प्रमाण-पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
- (7) निविदा स्वीकृति उपरांत संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से प्राप्त कार्य का पंजीयन कराने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जावेगा साथ ही भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3(1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (construction work) पर 1% उपकर (सेस) देय होगा। देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी।
- (8) निविदायें निगम की निविदा पेट्री में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (9) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता  
(तक - 3)